संख्या-208/2025/आई/955764/23-1-25/001-23-1002(002)/124/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 07 मई, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 22 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 22 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 97,03,60,000/- (रूपये सत्तानबे करोड़ तीन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	13161/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	02-05-2025
2	13163/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	02-05-2025
3	13164/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	02-05-2025
4	13165/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	02-05-2025
5	13176/CE-HQ1/RSN5054/PRJ/2025-26	03-05-2025
6	13177/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	03-05-2025
7	13179/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	03-05-2025
8	13180/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	03-05-2025
9	13181/CE-HQ1/RSN5054/ALI/2025-26	03-05-2025
10	13184/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	03-05-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	पिलुआ से टढ़ई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	28/2024/आई/ 481052/23-1-24/001-23-1002(002)/2/2 024- दिनांक- 30-01-2024	273.37 273.37 166.08 59.30 214.07	127.45	86.62	86.62
2	नि.ख.-1 बाराबंकी	रामनगर सहादतगंज सैदनपुर मुष्काबाद मार्ग (अ0जि0मा0) के चै0 0.200 से 17.000 में सतह सुधार का कार्य।	51 /2024/आई/ 495937/23-1-24/001-23-1002(002)/27/ 2024-दिनांक- 15-02-2024	1688.75 1688.75 943.00 471.60 1217.15	982.59	234.56	234.56
3	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	लक्ष्मणगढ़ी से औरंगाबाद अहीर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	127 /2024/आई/ 521889/23-1 - 24/001-23-1002(002)/86/ 2024-दिनांक- 15-03-2024	207.42 207.42 121.31 50.54 156.88	138.32	18.56	17.95
4	नि.ख. मेरठ	ग्राम खेड़ा से ग्राम पाली व महादेव होते हुए छबरिया चैराहे तक मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	61 /2024/ 503772/23-1-24/001-23- 1002 (002)/39 /2024- दिनांक- 23-02-2024	1175.83 1175.83 787.01 111.00 1064.83	903.53	161.30	52.25
5	नि.ख. मेरठ	चॉद चैराहे से पीरपुर, दादरी, सलावा, आलगीरपुर, फरीदपुर होते हुये राधना पुल तक (अन्य जिला मार्ग) मार्ग को चैनेज 6.965 से 16.215 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	101 /2024/ आई/520057/ 23-1-24/001- 23-1002(002)/ 66/2024 - दिनांक- 14-03-2024	1499.00 1499.00 811.47 162.00 1337.00	312.00	1025.00	623.90
6	प्रा.ख. बागपत	ग्राम पुरामहादेव से ग्राम कासा पुट्ठी की ओर डौला हिसावादा बुडसैनी मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	662 /2024/ आई/814602/ 23-1-24/001- 23-1002(002)/ 194/2024 - दिनांक- 05-12- 2024	116.12 116.12 81.03 8.21 107.91	61.75	46.16	40.76
7	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में खेलिया रिवाड़ा (अ0जि0मा0) लम्बाई 9.750 कि0मी0 में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	750 /2024/आई/835973 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/198/202 4 -दिनांक-28-12-2024	1601.28 1601.28 759.46 426.83 1174.45	313.14	861.31	508.98
8	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत के छपरौली में विजवाडा राजवाहा ककडीपुर से लेकर माखर राजवाहे की पटरी	661 /2024/आई /814601/23-1-24/001-23-1002(002)/191	1613.98 1613.98 950.87 259.19 1354.79	300.74	1054.05	750.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		(कुल लम्बाई 18.00 कि0मी0) का नव निर्माण का कार्य।	/2024 -दिनांक- 04-12-2024				
9	नि.ख.-3 प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में गौहानी बारा मार्ग (अ0जि0मा0) के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	121/2025/आई /894682/23- 1-25/002-23-1002(002)/28/ 2025-दिनांक- 28-02-2025	1015.32 1015.32 523.04 57.90 957.42	73.22	884.20	507.66
10	नि.ख.-3 प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में बी0पी0 मार्ग से कपारी जोरवट मार्ग (अ0जि0मा0) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	748 /2024/ आई/835990/2 3-1-24/ 001- 23-1002(002)/ 203/2024 - दिनांक- 28-12- 2024	885.20 885.20 220.99 38.51 846.69	75.03	771.66	442.10
11	प्रा.ख. बरेली	नवाबगंज से बीजामऊ से केसरपुर (मटकापुर तक) मार्ग के किमी 1 से 16.350 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (अजिमा)	93 /2025/आई/876756 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	2490.07 2490.07 1115.00 260.07 2230.00	488.14	1741.86	1072.86
12	प्रा.ख. पीलीभीत	पूरनपुर से पकडिया चैराहे से घुंघचाई चैराहे का सीसी मार्ग से पुनर्निर्माण का कार्य।	106 /2024/ आई/521061/2 3-1-24/001-23-1002(002)/86/ 2024-दिनांक- 15-03-2024	353.49 353.49 235.82 59.56 293.93	165.69	128.24	104.00
13	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	एम0डी0आर0-103सी के किमी 13 से गढ़िया रंगीन मार्ग का तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/ आई/876756/2 3-1-25/001-23-1002(002)/28/ 2025 दिनांक- 10-02-2025	2495.59 2495.59 1861.79 88.02 2407.57	4.08	2403.49	1248.00
14	नि.ख.-1 पीलीभीत	बिलसण्डा बमरौली तिल्छी करेली मार्ग (अजिमा) के किमी 19.00 से 24.40 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। (अजिमा)	93 /2025/ आई/876756/2 3-1-25/001-23-1002(002)/28/ 2025 दिनांक- 10-02-2025	302.06 302.06 165.12 89.22 212.84	58.97	153.87	100.00
15	प्रा.ख. एटा	वित्तीय वर्ष 2024-25 में धमुरी सरौंठ अलीगंज संकिसा मार्ग के चौनेज 7.800 से 15.300 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	726 /2024 /आई/835975/ 23-1-24 /001- 23-1002(002) /199/2024 - दिनांक- 28-12- 2024	1230.81 1230.81 625.61 298.05 932.76	240.52	692.24	470.00
16	प्रा.ख. एटा	पहरा रूदायन मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	94/2025/आई/ 876762/23-1-25/001-23-1002(002)/83/ 2024-दिनांक- 10-02-2025	1788.31 1788.31 899.34 522.83 1265.48	38.00	1227.48	850.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
17	प्रा.ख. कासगंज	जनपद कासगंज में एटा अमांपुर सहावर मार्ग के किमी 13 से 17 तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	726 /2024/आई/835975 /23-1-24 /001-23-1002 (002)/199/2024 -दिनांक-28- 12-2024	1290.95 1247.38 627.16 332.68 914.70	252.74	661.96	645.00
18	नि.ख. सहारनपुर	बास्तम से दिवालहेड़ी मिरगपुर दुधली होते हुये रजपुरा तक अ0जि0मा0 के किमी0 चैनेज 5.845 से 14.500 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	61 /2024/ 503772/23-1-24/001-23- 1002 (002)/39 /2024- दिनांक- 23-02-2024	2130.62 2130.62 1305.02 23.30 2107.32	1010.62	1096.70	465.00
19	नि.ख. सहारनपुर	दौलतपुर नानौता मंगलौर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-167) से नन्हेड़ा खुर्द (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	84 /2024/ आई/513525/2 3-1-24/001-23-1002(002)/53/ 2024 -दिनांक- 06-03-2024	2378.75 2378.75 896.86 169.47 2209.28	695.50	1513.78	910.00
20	नि.ख.-1 खीरी	ढकेरवा गिरिजापुरी कैनाल सेवा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी 1 से 16(800) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1042 /2023 /आई / 434411/23-1-23/001-23- 1002 (002)/ 203 /2023 - दिनांक-24-11-2023	3918.33 3918.33 1157.16 1487.36 2430.97	2103.87	327.10	205.55
21	प्रा.ख. रायबरेली	हैदरगढ़ महराजगंज रायबरेली मार्ग (एस0एच0-13 ए) के चैनेज 41.950 से चैनेज 44.650 एवं चैनेज 46.000 से 47.300 में (शहरी भाग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	30 /2024/ आई/481606 /3-1-24/001- 23-1002 (002)/7 /2024- दिनांक-30-01- 2024	1794.88 1794.88 636.85 183.61 1611.27	937.72	673.55	200.00
22	प्रा.ख. रायबरेली	महराजगंज चन्दापुर सेमरौता मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य।	39 /2024/ आई/489178/2 3-1-24/002-23-1002(002)/244 /2023 -दिनांक- 07-02-2024	2004.39 2002.82 1155.95 456.66 1546.16	1301.93	245.80	168.41
						कुल योग-	**9703.60**

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 97,03,60,000/- (रूपये सत्तानबे करोड़ तीन लाख साठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-208/2025/आई/955764(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/124/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।